In the court of Circle officer at Deoghar
M.C.NO. 1211 / 2010-11 D. 26-3-11
Applicant - Kumkum Singh copy of final order

Date of Application	Date of filing	Date of Ready	Date of Delivery
09-4-11	11-4-11	13-4-11	13-4-11

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद आवेदक/आवेदिका श्री मती कुमकुम सिंह पिता/पति श्री सुबोध कुमार सिंह साकिन औड़ा बगीचा थाना चरहरा जिला मुंगेर द्वारा दाखिल आवेदन पर प्रारम्भ किया गया। आवेदक/आवेदिका मौजा नौलखेठ्ठी, थाना सं० 415 जमाबन्दी संख्या 386/1 अंश रकवा 1500' वर्गफीट का नामान्तरण हेतु आवेदन दाखिल की है। दाखिल आवेदन के आधार पर सम्बन्धित हल्का कर्मचारी वो अंचल निरीक्षक से स्थानीय वो राजस्व अभिलेखों का जाँच कराकर प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। तत्पश्चात् सोलह आना रैयत को आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ। हल्का कर्मचारी वो अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन तथा दाखिल कागजात के अनुसार आवेदक/आवेदिका द्वारा नामान्तरण हेतु प्रस्तावित जमीन निबन्धित केवाला संख्या 1670, दिनांक 17-5-08 द्वारा प्राप्त कर शान्तिपूर्ण दखलकार हैं। विषयगत जमीन बसौडी सत्व की है तथा भू दान, लीज एवं भू-हदबन्दी से मुक्त है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक विषयगत जमीन का नामान्तरण आवेदक/आवेदिका के नाम से स्वीकृत करने हेतु अनुशंसा की है एवं अंचल अमीन ने भी नामान्तरण की अनुशंसा की है।

अतः हल्का कर्मचारी वो अंचल निरीक्षक की अनुशंसा, निबन्धित केवाला, शान्तिपूर्ण दखल कब्जा एवं अनापत्ति के आधार पर मौजा नौलखेठ्ठी थाना सं० 415, जमाबन्दी सं० 386/1 अंश, दाग नं० T.P.P.N. 163 A रकवा 1500' वर्गफीट का नामान्तरण आवेदक/आवेदिका श्री मती कुम कुम सिंह पिता/पति श्री सुबोध कुमार सिंह साकिन औड़ा बगीचा थाना चरहरा जिला मुंगेर के नाम से [signature] दी जाती है। अनुशंसित लगान 1.00 + 9.00 रु० अलावे सेस वसूलनीय होगा। आवेदक/आवेदिका से 2.00 रुपये ना० शुल्क प्राप्त करें। कार्यवाह सहायक शुद्धि पत्र निर्गत करें तथा अनुपालन हेतु हल्का कर्मचारी को हस्तगत करावें।

टंकित कराया एवं शुद्ध किया।

Sd/-
अंचल अधिकारी,
देवघर।

Sd/-
अंचल अधिकारी,
देवघर।

प्रमाणित प्रतिलिपि
13/4/11
प्रभारी

13-4-11 13-4-11
मिलान किया

C.F. 183

ATTESTED
Govt. of Jharkhand